फाइल सं. ए.12018/11/2018-लेप
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का, ओडिशा में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य वर्ग) समूह 'ग' पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का, ओडिशा में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य वर्ग) समूह 'ग' पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री शोरन सिंह, अवर सचिव, स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 508- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। shorn.singh27@gov.in

(शोरन सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061436

नई दिल्ली
दिनांक

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2021

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्षेत्रिय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, बबनपुर(अस्का), ओड़ीशा में स्टॉफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रिय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, बबनपुर(अस्का), ओड़ीशा, स्टॉफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) समूह-'ग'पद भर्ती नियम, 2021 होगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

   क. जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, या विवाह की संविदा की है या

   ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति–** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
स्टॉफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)।	02* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 -63200 रु.)।	लागू नहीं होता।	18-25 वर्ष के बीच* *18 और 27 वर्ष के बीच यदि भर्ती अखिल भारतीय ओपन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती है। केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण I:- आयु-सीमा का अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,	अनिवार्य : (1) अभ्यर्थी के पास मोटर कार के लिए वैध ड्राईविंग लाइसेंस हो; (2) मोटर मेकेनिजम की जानकारी (अभ्यर्थी वाहन में छुट-पुट खराबियां दूर करना जानता हो)। (3) अभ्यर्थी के पास मोटर कार चलाने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो; और (4) अभ्यर्थी 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो। वांछनीय: होमगार्ड/सिविल वॉलेंटियर्स के रूप में तीन वर्ष की सेवा टिप्पण 1: अनुभव संबंधी अर्हरता में छूट सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर दी जानी है। टिप्पण 2: यदि चयन के किसी भी स्तर पर, सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि अनुसूचित	लागू नहीं।	सीधी भर्ती या पुनर्नियोजित हेतु दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन।

					सिक्किम,हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यार्थियों के, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए, अपेक्षित अनुभव सहित पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिल की जा सकती है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: संबंधित जिला/राज्य के परिवहन कार्यालय में वेतन मेट्रिक्स में स्तर-1 में डिस्पेच राइडर (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारी, जिसके पास मोटर कार हेतु ड्राइविंग लाइसेंस हो, वाहन चलाने की क्षमता का आकलन करने के लिए वाहन चलाने की परीक्षा के आधार पर, ऐसा न होने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मेट्रिक्स में स्तर-1 में नियमित समूह 'ग' कर्मचारी अथवा नियमित आधार पर डिस्पेच राइडर का पद धारण करने वाले कर्मचारियों में से वे जो कॉलम (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हता पूरी करते हों। प्रतिनियुक्ति/सशस्त्र बल कर्मिकों का पुनर्नियोजन: ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक, जो शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं अथवा जिन्हें एक वर्ष की अवधि के अंदर रिजर्व में हस्तांतरण किया जाना है तथा जिनके पास अपेक्षित अनुभव तथा निर्धारित अर्हता है, पर भी विचार किया जाएगा, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक की प्रतिनियुक्ति अवधि दी जाती है जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त किया जाना है; तत्पश्चात उनकी सेवाएं पुनर्नियोजन पर जारी रखी जा सकती हैं। टिप्पण: उसी संगठन अथवा किसी अन्य संगठन अथवा केंद्रीय सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे): (1) निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान,अस्का - अध्यक्ष; (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, अस्का - सदस्य; (3) एक अधिकारी संबंधित विषय के एक सदस्य के रूप में सहयोजित किए जाने वाला– सदस्य।	लागू नहीं ।

की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।		

फा.सं. ए.12018/11/2018-कुष्ठ

(शोरन सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार